

22-2-24 पत्रावली के मापि कुते कर्कलेपणी
के बार-बार आवने लगने गइ फिर
मे न्यायालय के उअज उपस्थित नही
अंतः प्राथमिक प्रश्नी के द्वारा
न्यायालय के उपस्थित नही होने कते
अपना पक्ष पेश नही करे पर शकिक
विश्रुत जात है पत्रावली किरित होकर
नम्बर से कर हा

आवेदन आदि कुले न्यायालय के
लिख जम्न सुनाया गया


अमित कुमार
PAS

उपखण्ड अधिकारी,
घड़साना